सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

अर्द्ध शा0प0सं0–3741/प्र0स0स0क0/2016
उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण विभाग
लखनऊ दिनांक : 29 अप्रैल, 2016
फोन नंबर– 0522–2238083
ई–मेल–psecup.socwel@nic.in

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जाता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2016 तथा उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2016 दिनांक 14 अप्रैल, 2016 को निर्गत की गयी है। इस नियमावली की प्रति shasanadesh.up.nic.in अथवा scholarship.up.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।

2– नियमावली में यह व्यवस्था की गयी है कि *छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा* तथा *यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।* नियमावली में शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय/परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी के उत्तरदायित्व का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

3– प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदेश में संचालित आई0टी0आई0 एवं पॉलिटेक्निक के विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शिक्षण संस्थानों को संबद्धता प्रदान की जाती है तथा इन पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा आयोजित करायी जाती है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विभागीय वेबसाईट scholarship.up.nic.in पर दिनांक 01 मई, 2016 से दिनांक 15 जुलाई, 2016 तक ऐसे सभी शिक्षण संस्थान उनके द्वारा संचालित आई0टी0आई0/पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों का संपूर्ण विवरण अपडेट करेंगे यथा–पाठ्यक्रम का नाम, अवधि, स्वीकृत सीट संख्या, अनुमोदित शुल्क आदि। तदुपरांत आपसे यह अपेक्षित होगा कि प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध शिक्षण संस्थानों द्वारा भरे गये विवरण व अपलोड किये गये अभिलेखों का परीक्षण कर अपने डिजिटल सिग्नेचर से सत्यापित करेंगे। इसी प्रकार परीक्षा नियंत्रक के रूप में यह अपेक्षित है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा घोषित समस्त आई0टी0आई0/पॉलिटेक्निक के पाठ्यक्रमों के परीक्षाफल को निर्धारित प्रारूप में XML format पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अंदर scholarship.up.nic.in पर अपलोड करेंगे।

4– अतएव आपसे यह अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित कार्य प्राथमिकता पर संपन्न करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करना चाहें :–

- प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के साथ–साथ उनके कम–से–कम 01 और अधीनस्थ अधिकारी तत्काल सक्षम प्राधिकारी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर लें।
- प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध ऐसे समस्त शिक्षण संस्थान, जो विभागीय वेबसाईट scholarship.up.nic.in के मास्टर डाटा में सम्मिलित हैं, के द्वारा भरे गये संचालित पाठ्यक्रमों, मान्यता/संबद्धता आदि से संबंधित समस्त विवरणों का सत्यापन विलंबतम दिनांक 31 अगस्त, 2016 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें।
- प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2016 तक घोषित सभी परीक्षाफल तत्काल विभागीय वेबसाईट scholarship.up.nic.in पर निर्धारित प्रारूप में XML format पर अपलोड कर दिये जायें तथा यह सावधानी बरती जाय कि कोई डुप्लीकेट रिकार्ड अथवा एक ही एनरोलमेंट नंबर पर दो–दो पाठ्यक्रमों में छात्रों के परीक्षाफल अपलोड न किये जायें।

5— इस वर्ष भी दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र दिनांक 01 जुलाई, 2016 से दिनांक 30 सितंबर, 2016 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे। यह व्यवस्था की जा रही है कि नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों, शिक्षण संस्थानों/ प्राविधिक शिक्षा परिषद के नोडल अधिकारी, जिनका मोबाईल नंबर तथा ई–मेल विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, को एस0एम0एस0 तथा ई–मेल के माध्यम से भी समय–समय पर "अलर्ट" प्रेषित किये जायें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग से वर्ष 2016–17 में प्रदेश के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ और बेहतर एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा।

भवदीय,

(सुनील कुमार)

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
बांसमंडी चौराहा,
1ए, गोविन्द रोड, लखनऊ

संख्या व तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

29.4.16
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव